डाक-व्यय की पूर्व अदायगी
के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के
लिए अनुमत. अनुमति-पत्र
क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43] रायपुर, सोमवार, दिनांक 5 मार्च 2001—फाल्गुन 14, शक 1922

कार्यालय, आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़

आबकारी ठेका नीलाम

वर्ष 2001-2002

रायपुर, दिनांक 5 मार्च 2001

क्रमांक/आब/ठेका/2001-2002/504.—सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिए राज्य शासन के आदेशानुसार यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि समूचे छत्तीसगढ़ में विदेशी मदिरा एवं देशी मदिरा दुकानें (जो दिनांक 1 अप्रैल, 2001 से आन अनुज्ञप्ति अर्थात् जहां परिसर में मद्यपान अधिकृत है एवं ऑफ अनुज्ञप्ति अर्थात् जहां परिसर में मद्यपान वर्जित है, के अन्तर्गत रहेंगी) भांग, भांगघोटा, भांग मिठाई तथा ताड़ी दुकानों के लिये लायसेंस समूहों में तथा पृथक्-पृथक् वर्ष 2001-2002 अर्थात् 1 अप्रैल, 2001 से 31 मार्च, 2002 तक की अवधि हेतु संबंधित जिले के कलेक्टरों द्वारा संलग्न परिशिष्ठ में दर्शाये अनुसार तिथियों एवं स्थानो पर प्रात: 10.30 बजे से नीलाम किये जावेंगे, पर्याप्त बोली प्राप्त न होने पर आवश्यकतानुसार टेण्डर आमंत्रित किये जायेंगे, जो व्यक्ति नीलाम/टेण्डर में भाग लेना चाहे वे संबंधित नीलाम केन्द्रों पर नियत नीलाम तिथि को उपस्थित होकर नियमानुसार बोली/टेण्डर दे सकते हैं, संबंधित नियमों तथा उपरोक्त मादक द्रव्यों की खपत ड्यूटी की दर आदि की जानकारी संबंधित जिला आबकारी कार्यालय से अवकाश के दिनों को छोड़कर किसी भी दिन कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है. नीलाम की शर्तें एवं निर्बन्धन नीलाम के समय नीलाम स्थल पर पढ़कर सुनाये जावेंगे. ठेकों के नीलाम/टेण्डर की कार्यवाही यदि किसी कारणवश संलग्न परिशिष्ट में दर्शाये गये दिनांक/दिनांकों के दिवस/दिवसों को पूरी नहीं हुई तो नीलाम/टेण्डर आमंत्रित करने की कार्यवाही उस जिले के कलेक्टर द्वारा अन्य घोषित किसी भी दिन की जा सकेगी. यह स्पष्ट किया जाता है कि टेण्डर आमंत्रित करने की कार्यवाही कलेक्टर द्वारा टेण्डर आमंत्रित करने का निर्णय लिये जाने की दशा में ही की जावेगी. नीलाम/टेण्डर की मुख्य शर्तें/निर्बन्धन अगले पृष्ठों में दिये गये हैं, जो लागू होंगे :—

नीलाम/टेण्डर की शर्तें

1. **नीलाम पण्डाल में प्रवेश एवं प्रवेश के लिये शुल्क**—नीलाम पंडाल में बोली/टेण्डर देने के लिये वे ही व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे जो नीलाम में भाग लेने पात्र होंगे और जिन्होंने शर्त क्रमांक 4 के अनुसार अर्नेस्टमनी जमा कर दी है. नीलाम पंडाल में बोली/टेण्डर देने के प्रयोजन से प्रवेश करने वाले ऐसे व्यक्ति को 1000/- (एक हजार रुपये) प्रवेश शुल्क सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी कार्यालय में जमा करना होगा, जिसकी उसे विधिवत् रसीद दी जावेगी तथा दो प्रवेश-पत्र दिये जावेंगे—एक उसके स्वयं के उपयोग के लिये तथा एक उसके सहयोगी के लिये तथा प्रत्येक अतिरिक्त सहयोगी के लिये रु. 5000/- (पांच हजार रुपये) जमा करने पर सहयोगी के लिये निर्धारित प्रवेश-पत्र जारी किया जावेगा अर्थात् नियमानुसार अर्नेस्टमनी जमा होने व प्रवेश-पत्र प्राप्त होने पर ही संबंधित को नीलाम पंडाल में प्रवेश दिया जावेगा . बोली/टेण्डर देने वाले व्यक्ति को दिये जाने वाले लाल प्रवेश-पत्र पर नीलाम वर्ष, उसका नाम तथा जमा प्रवेश शुल्क अंकित होगा, सहयोगी को दिये जाने वाले प्रवेश-पत्र पर नीलाम वर्ष एवं सहयोगी का नाम अंकित होगा. प्रवेश-पत्र पर सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामांकित अधीनस्थ अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील अंकित होगी . प्रवेशित व्यक्ति प्रवेश-पत्र को अपने सीने में बाई ओर लगायेगा तथा नीलाम पंडाल में उपस्थित रहने तक उसे भली-भांति लगाए रखेगा .

2. **व्यक्ति जो नीलाम/टेण्डर में भाग लेने से वर्जित होंगे**—

(i) नीलाम में ऐसे व्यक्ति बोली लगा सकेंगे जो आबकारी ठेके/लायसेंस प्राप्त करने के लिये योग्यता रखते हों, निम्नांकित व्यक्ति नीलाम में बोली लगाने अथवा निविदा देने के लिये अयोग्य रहेंगे :—

(क) कोई भी व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम आयु का हो .

(ख) कोई भी व्यक्ति, जो स्वत: अथवा जमानतदार की हैसियत से शासन की आबकारी राशि तथा/अथवा मनोरंजन शुल्क की किसी प्रकार की राशि का बकायादार हो, वर्ष 2000-2001 की अवधि का अनुज्ञप्तिधारी जिसके द्वारा उसके ठेके की माह जनवरी 2001 तक की संपूर्ण देय नीलाम राशि/लायसेंस फीस न पटाई गई हो.

(ग) कोई भी व्यक्ति जो पहले कभी लायसेंसी रहा हो और लायसेंसी की हैसियत से उसका आचरण नीलाम करने वाले अधिकारी के मत में संतोषजनक न रहा हो.

(घ) कोई भी व्यक्ति जिसका नाम विभाग की काली सूची में हो .

(ङ) कोई भी व्यक्ति जिसके बारे में नीलामकर्त्ता अधिकारी को यह विश्वास हो कि वह बुरे आचरण वाला है .

(च) कोई भी व्यक्ति, जो स्वत: छत्तीसगढ़ राज्य के किसी पड़ोसी राज्य में समीप के क्षेत्र में उसी प्रकार का ठेका लिये हो अथवा ऐसे ठेकेदार का अभिकर्त्ता हो.

(ii) (क) कोई भी व्यक्ति जो आबकारी अधिनियम 1915, पूर्व में प्रभावशील डेन्जरस ड्रग्स एक्ट 1930 पूर्व में प्रभावशील मध्यप्रदेश प्रोहिबिशन एक्ट 1936 पूर्व में प्रभावशील अफीम अधिनियम 1878 या नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड.सायकोट्रोपिक सबस्टेन्सेज एक्ट 1985 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति की शर्तों के गंभीर उल्लंघन करने का दोषी रहा हो अथवा ऐसे अपराधों के लिये किसी दाण्डिक न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया हो जो उसे नीलाम में बोली/टेण्डर की कार्यवाही करवाने वाले पदाधिकारी के विचार में अनुज्ञप्तियों का अवांछनीय धारक बना देता है, नीलाम में बोली लगाने के लिये कलेक्टर/सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी या नीलम करने वाले अधिकारी की सहमति के बिना अधिकृत नहीं होगा .

(ख) देशी मदिरा के फुटकर लायसेंस के लिये बोली/टेण्डर देने के इच्छुक व्यक्ति द्वारा जब तक स्वयं का अथवा अधिकृत अभिकर्त्ता की दशा में अपने स्वामी का इस बात के लिये शपथ-पत्र प्रस्तुत न कर दिया गया हो कि उसका संबंधित देशी मदिरा के प्रदाय ठेकेदार/आसवक से कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष व्यवसायिक संबंध नहीं है तब तक वह ऐसी बोली/टेण्डर देने के लिये योग्य नहीं होगा .

(ग) विदेशी मदिरा के फुटकर लायसेंस के लिये बोली/टेण्डर देने के इच्छुक व्यक्ति द्वारा जब तक स्वयं का अथवा अधिकृत अभिकर्त्ता की दशा में अपने स्वामी का इस बात के लिये शपथ-पत्र प्रस्तुत न कर दिया गया हो, कि उसका भारत निर्मित विदेशी मदिरा के निर्माण के लिये किसी भी प्रकार के लायसेंस/लायसेंसी से कोई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष व्यवसायिक संबंध नहीं है, तब तक वह बोली/टेण्डर देने के लिये योग्य नहीं होगा .

टिप्पणी—बकाया राशि की पूर्ण अदायगी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उक्त कंडिका (1) (ख) में उल्लिखित शर्त कलेक्टर द्वारा शिथिल की जा सकेगी/काली सूची में से नाम विलोपित किये जाने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उक्त कंडिका (1) (घ) की शर्त कलेक्टर द्वारा शिथिल की जा सकेगी .

3 (क) **सहमति करार पर हस्ताक्षर करना**-प्रत्येक बोलीदार/निविदादाता को निम्नलिखित प्रारूप में सहमति करार पर इस आशय की सहमति के हस्ताक्षर करने होंगे कि वह नीलाम/निविदा की शर्त और निर्बन्धनों को स्वेच्छा से स्वीकार करता है :—

आबकारी ठेकों के नीलाम/निविदा की शर्त को नीलाम में बोली लगाने के पूर्व मान्य करने का सहमति करार

सहायक आयुक्त आबकारी/
जिला आबकारी अधिकारी
के प्रमाणित हस्ताक्षर

मैंने .... (बोली लगाने वाले का नाम) पुत्र ....

पिता का नाम .... निवासी .... पूरा पता ....

.... धन्धे का स्थान ....

आयु .... (वर्षो में) राष्ट्रीयकृत बैंक के खाते का क्रमांक व बैंक का नाम तथा पता ....

....

(बोलीदार स्वयं/फर्म/कंपनी अथवा उसके कोई भागीदार/डायरेक्टर आयकरदाता है तो यथास्थिति बोलीदार/फर्म/कंपनी अथवा उसके भागीदार/भागीदारों/डायरेक्टर/डायरेक्टरों का/के स्थाई आयकर लेखा क्रमांक .... आबकारी ठेका वर्ष 2001-2002 के लिये नीलाम/निविदा की शर्तें पढ़/सुन ली है तथा अन्यथा समझ ली है और मैं नीलाम/मिविदा की शर्तें प्रतिग्रहित करता हूं . अपनी बोली से विचलित होने की दशा में मैं अपने द्वारा निक्षेप किये गये अग्रिम धन के समर्पहरण के लिये करार करता हूं तथा स्वयं को आबद्ध करता हूं कि ऐसी दशा में पुन: नीलाम/निविदा की कार्यवाही किये जाने की स्थिति में शासन को हुई हानि की प्रतिपूर्ति की रकम मुझसे भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूली योग्य होगी .

हस्ताक्षर ....

दिनांक ....

टीप :

1. प्रत्येक देशी/विदेशी मदिरा दुकान अथवा दुकानों के समूह के आबकारी ठेकों के बोलीदार (व्यक्ति/फर्म/कंपनी) द्वारा अपना बैंक खाता क्रमांक उसके द्वारा प्रस्तुत सहमति करार-पत्र में अंकित करना अनिवार्य होगा. उपरोक्त सहमति करार भरकर हस्ताक्षर करने के साथ ही बोलीदार निम्रांकित प्रारूप में इस शपथ-पत्र में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा .

2. बोलीदार अथवा निविदादाता यदि पंजीकृत फर्म/कंपनी है तो उसके कार्यकारी भागीदार/मैनेजिंग डायरेक्टर अथवा अधिकृत डायरेक्टर को उपरोक्तानुसार सहमति करार की पूर्ति कर हस्ताक्षर करने होंगे.

3. बोलीदार द्वारा स्वयं अथवा पंजीकृत फर्म/कंपनी की ओर से बोली लगाने की दशा में बोलीदार स्वयं अथवा फर्म/कंपनी के कोई भागीदार/डायरेक्टर यदि आयकरदाता है तो संबंधित आयकरदाता का स्थाई आयकर खाता क्रमांक भी देना होगा.

श्री .... को आबकारी ठेकों के उल्लिखित नीलाम/निविदा में उनके द्वारा प्रस्तुत/हस्ताक्षरित उक्त सहमति करार के आधार पर सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है .

हस्ताक्षर नीलामकर्त्ता अधिकारी दिनांक सहित

कलेक्टर, जिला ....

शपथ-पत्र

मैं (नाम) .... (पिता का नाम) .... निवासी (पता) .... शपथपूर्वक सत्यनिष्ठा से कथन करता हूं कि :

(1) मेरा देशी मदिरा का विनिर्माण कर प्रदाय करने वाले किसी प्रदाय ठेकेदार/आसवक से अथवा भारत निर्मित विदेशी मदिरा के निर्माण के किसी प्रकार के लायसेंसी से अथवा लायसेंस में कोई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष व्यवसायिक संबंध/हित नहीं है. यह कि, देशी मदिरा/विदेशी मदिरा, भांग, भांगघोटा, भांग मिठाई, ताड़ी की फुटकर दुकानों के ठेकों की नीलामी हेतु बोली लगाने के लिये मेरे द्वारा कलेक्टर को प्रस्तुत सहमति करार पत्र में उल्लेखित समस्त तथ्य/विवरण, सत्य एवं पूर्ण है उक्त सहमति करार पत्र में उल्लेखित किसी तथ्य/विवरण का सत्यापन कराये जाने पर किसी भी तथ्य/विवरण/बिन्दु के असत्य अथवा अपूर्ण पाये जाने पर कलेक्टर को बोली/लायसेंस निरस्त करने तथा मेरे द्वारा जमा कराये गये अर्नेस्टमनी/अग्रिम धन को राजसात करने का अधिकार होगा तथा इसके संबंध में मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी.

हस्ताक्षर ....

दिनांक ....

(ख) यदि कोई बोलीदार/निविदादाता किसी पंजीकृत फर्म या कंपनी की ओर से बोली लगाना अथवा टेण्डर देना चाहता है तो बोली/टेण्डर लगाने के पूर्व उसे नियमानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे—

1. संबंधित फर्म/कंपनी का मूल पंजीयन/निगमन प्रमाण-पत्र अथवा उसकी विधिवत् अभिप्रमाणित प्रतिलिपि .
2. फर्म की डीड ऑफ रजिस्ट्रेशन/कंपनी का मेमोरेण्डम एवं आर्टीकल्स ऑफ एसोसिएशन की मूल या प्रमाणित प्रतिलिपि.

3. संबंधित फर्म/कम्पनी की ओर से नीलाम में भाग लेने हेतु बोलीदार के पक्ष में निष्पादित/जारी अधिकारपत्र.

4. **अर्नेस्टमनी जमा करना**—प्रत्येक बोलीदार/निविदाता को बोली लगाने/निविदा देने के पूर्व संबंधित देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के समूह हेतु वर्ष 2001-2002 के लिये घोषित आरक्षित मूल्य के 8 प्रतिशत के बराबर तथा भांग, भांगघोटा, भांग मिठाई एवं ताड़ी दुकान/दुकानों की वर्ष 2000-2001 के लिये पूरे वर्ष हेतु प्राप्त लायसेंस फीस के 20 प्रतिशत के बराबर अर्नेस्टमनी की राशि नगद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक अथवा कैश आर्डर के रूप में जमा करनी होगी . इस प्रकार जमा की गई अर्नेस्टमनी के विरुद्ध बोलीदार/निविदादाता 10 गुना राशि की सीमा तक संबंधित दुकानों के समूह/दुकान की बोली/निविदा दे सकेंगे . सफल बोलीदार/निविदादाता द्वारा अर्नेस्टमनी की जमा की गई राशि नीचे शर्त क्रमांक 8 में उल्लेखित अग्रिम राशि के विरुद्ध वांछित सीमा तक समायोजित की जावेगी अथवा पूरी राशि अर्नेस्टमनी की अवशेष राशि असफल बोलीदार को वापिस की जावेगी जिसके लिये उसे रेवेन्यू स्टाम्प लगाकर पावती रसीद देनी होगी .

5. **खिसारे की वसूली तथा अर्नेस्टमनी का राजसात किया जाना**—उच्चतम बोलीदार/निविदादाता यदि बोली/निविदा की पुष्टि तक अपनी लगाई गई बोली/निविदा पर स्थिर नहीं रहेगा अथवा बोली/निविदा वापिस लेगा या किसी प्रकार से शर्तो का उल्लंघन करेगा तो ठेके को पुन: नीलाम करने अथवा टेण्डर द्वारा ठेका देने पर खिसारा आएगा अर्थात् शासन को जो हानि होंगी, वह उच्चतम बोलीदार /निविदादाता से भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूल की जाएगी . इसके अतिरिक्त किसी भी समय नीलाम/निविदा की शर्तो के उल्लंघन पर उसके द्वारा जमा की गई अर्नेस्टमनी को राशि अथवा यदि अर्नेस्टमनी की राशि का समायोजन शर्त क्रमांक 8 के अनुरूप जमा किये जाने वाले अग्रिम धन के विरुद्ध किया गया है तो इस प्रकार समायोजित अर्नेस्टमनी की राशि भी उसको सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् राजसात की जा सकेगी . बोलीदार/निविदादाता द्वारा नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, कैश आर्डर के रूप में जमा की गई अन्य कोई राशि भी खिसारे की वसूली के पेटे समायोजित की जाएगी .

6. **आबकारी आयुक्त की स्वीकृति के अधीन नीलामी**—जिन ठेकों की बोली वर्ष 2001-2002 के लिये देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, भांग, भांगघोटा, भांग मिठाई व ताड़ी दुकानों की समूह में अथवा पृथक्-पृथक् नीलाम होने पर अथवा टेण्डर आमंत्रित करने पर रुपये 4,00,00,000/- (रुपये चार करोड़) से अधिक की होगी, उनके नीलाम/टेण्डर की कार्यवाही संबंधित कलेक्टर द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ की स्वीकृति के अधीन की जाएगी ऐसे ठेके के संबंध में आबकारी आयुक्त को शक्तियां होगी कि वे नीलाम/टेण्डर की कार्यवाही की स्वीकृति दें अथवा न दें तथा इसके लिये कोई कारण बताना आवश्यक नहीं होगा . ऐसे ठेकों की नीलाम/टेण्डर की स्वीकृति आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा दी जाने पर ही नीलाम/टेण्डर अंतिम माना जायेगा.

7. **ठेका/ठेकों की अवधि में नीलाम की शर्तों का प्रभावशील रहना**—मादक पदार्थों की फुटकर दुकानों के ठेकों की नीलामी की ये सभी शर्तें वर्ष 2001-2002 के लिये तथा वर्ष 2001-2002 के दौरान होने वाले पुन: नीलाम अथवा निविदा की कार्यवाही के संबंध में प्रभावशील रहेंगी.

8. **अग्रिम धन जमा करना**—प्रत्येक सफल बोलीदार अथवा निविदादाता को अपनी उच्चतम बोली का देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा दुकान/दुकानों के समूह हेतु 12 प्रतिशत भाग तथा भांग, भांगघोटा, भांग मिठाई व ताड़ी की दुकानों हेतु 1/6 भाग नगद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक अथवा बैंक के कैश आर्डर के रूप में नीलाम/निविदा के पश्चात् तुरन्त जमा करना होगा . सफल बोलीदार/निविदादाता द्वारा जमा की गई अर्नेस्टमनी को राशि 12 प्रतिशत अग्रिम धन की राशि अथवा 1/6 अग्रिम धन की राशि के विरुद्ध अथवा जितनी आवश्यक है उस सीमा तक समायोजन योग्य राशि सफल बोलीदार/निविदादाता नीलाम समाप्त होने के तत्काल बाद 12 प्रतिशत राशि अथवा 1/6 भाग (अग्रिम धन) एवं उसके द्वारा जमा कराई गई अर्नेस्टमनी के अंतर की राशि को भी नगद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक अथवा बैंक के कैश आर्डर के रूप में जमा करेगा . परन्तु देशी तथा विदेशी मदिरा की दुकानों/दुकानों के समूह के सफल बोलीदार के अनुरोध पर कलेक्टर सफल बोलीदार को ऐसे मामले में जहां नीलाम दिनांक 21-3-2001 को अथवा इसके पूर्व संपन्न हुआ हो 12 प्रतिशत अग्रिम धन का शेष भाग जो अर्नेस्टमनी के समायोजन के पश्चात् देय होगा दिनांक 25-3-2001 तक जमा करने के लिए समय दे सकेंगे तथा जहां नीलाम दिनांक 21-3-2001 के पश्चात् संपन्न हुआ हो ऐसे मामलों में कलेक्टर सफल बोलीदार के अनुरोध पर उसे 12 प्रतिशत अग्रिम धन को शेष भाग दिनांक 30-3-2001 तक जमा करने के लिए समय दे सकेंगे . देशी तथा विदेशी मदिरा दुकानों/दुकानों के समूह के नीलाम के मामले में उक्तानुसार दिनांक 25-3-2001 तक अथवा जैसी भी स्थिति हो शेष राशि जमा न करने की दशा में तथा भांग, भांगघोटा, भांग मिठाई व ताड़ी की दुकान/दुकानों के नीलाम मामले में अग्रिम धन की शेष राशि नीलाम के तुरन्त पश्चात् जमा न करने की दशा में सफल बोलीदार द्वारा जमा अर्नेस्टमनी की राशि राजसात कर ली जायेगी और ठेका उसके दायित्व पर पुनर्नीलाम किया जायेगा . इस पुनर्नीलामी के फलस्वरूप शासन को हुई समस्त हानि की वसूली संबंधित बोलीदार से भू-राजस्व की बकाया की भांति की जावेगी . 12 प्रतिशत की अग्रिम राशि देशी तथा विदेशी लायसेंस के लिये माह फरवरी-मार्च, 2002 की नीलाम राशि की मासिक आंशिका के विरुद्ध तथा माह जनवरी,2002

की मासिक आंशिका की आंशिक राशि के रूप में समायोजन योग्य होगी . भांग, भांगघोटा, भांग मिठाई व ताड़ी की दुकान/दुकानों के ठेके के लिये जमा 1/6 भाग राशि माह फरवरी- मार्च, 2002 की लायसेंस फीस में समायोजित की जावेगी . इसके अतिरिक्त प्रत्येक सफल बोलीदार/निविदादाता को देशी मदिरा तथा विदेशी मदिरा की दुकान /दुकानों के समूह हेतु अपनी उच्चतम बोली/निविदा की 2 प्रतिशत राशि नगद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, कैश आर्डर के रूप में दिनांक 25-3-2001 अथवा दिनांक 30-3-2001 तक जैसी भी स्थिति हो जमा करनी होगी . भांग, भांगघोटा, भांग मिठाई व ताड़ी की दुकान/दुकानों हेतु सफल बोलीदार/निविदादाता को अपनी बोली की 1/12 राशि नगद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक गारंटी, बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, कैश आर्डर के रूप में नीलाम के तीन दिन के भीतर जमा करनी होगी . किन्तु सफल बोलीदार स्वयं चाहे तो उसके द्वारा देय 2 प्रतिशत भाग अथवा 1/12 भाग राशि राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से कलेक्टर के माध्यम से प्रतिभूति दे सकेगा . इस प्रकार ली जाने वाली 2 प्रतिशत राशि को लायसेंस शर्तों के उल्लंघन आदि के विरुद्ध जमानत के रूप में रखा जावेगा . 30 जून, 2002 तक अथवा इसके पूर्व यह 2 प्रतिशत भाग अथवा 1/12 भाग की राशि/बैंक गारंटी वापिस की जा सकेगी. किन्तु लायसेंस शर्तो के उल्लंघन की स्थिति में कलेक्टर द्वारा सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् यदि कोई शास्ति अधिरोपित की जावे तो उसकी राशि अथवा अन्य बकाया राशि के समायोजन के उपरांत शेष राशि वापसी योग्य होगी . वर्ष 2001-2002 के देशी/विदेशी मदिरा दुकान/दुकानों के समूह के सफल बोलीदार/ठेकेदार द्वारा वित्तीय वर्ष 2001-2002 की समाप्ति के पूर्व जब भी निर्धारित संपूर्ण नीलाम राशि (12 प्रतिशत अग्रिम धन की राशि को शामिल करते हुए) पटा दी जाती हैं तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमा की गई 2 प्रतिशत प्रतिभूति की राशि वर्ष समाप्ति के पूर्व वापिस की जा सकेगी . परन्तु वर्ष की समाप्ति के पूर्व 2 प्रतिशत प्रतिभूति की राशि की वापसी की स्थिति में अन्य शर्तों आदि के उल्लंघन के लिये अधिरोपित होने वाली शास्ति आदि की वसूली हेतु रुपये पांच करोड़ तक की नीलाम राशि के समूह के लिये रुपये एक लाख तथा पांच करोड़ से अधिक की नीलाम राशि के समूह के लिये दो लाख की बैंक गारंटी/नगद राशि संबंधित ठेकेदार द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा . बोलीदार अथवा टेण्डरदाता द्वारा जमा की जाने वाली कोई भी राशि चैक द्वारा नहीं ली जावेगी . भांग, भांगघोटा,भांग मिठाई व ताड़ी की दुकान/दुकानों के प्रत्येक सफल बोलीदार/निविदादाता को 31 मार्च, 2001 या उसके पूर्व माह अप्रैल की लायसेंस फीस की किस्त जमा करना अनिवार्य होगा . उक्त किस्त जमा होने पर ही उसे लायसेंस दिया जाएगा तथा प्रथम निर्गम दिया जा सकेगा.

नोट : सफल बोलीदार निविदादाता का आशय ऐसे बोलीदार/निविदादाता से है जिसकी बोली/निविदा नीलामी के समय अंतिम की गई हो चाहे भले ही संबंधित ठेके की नीलामी आबकारी आयुक्त की स्वीकृति के अधीन की गई हो .

9. **अग्रिम धन का राजसात करना**—जो ठेके आबकारी आयुक्त की स्वीकृति के अधीन नीलाम होंगे, उन ठेकों का कोई बोलीदार/निविदादाता यदि नीलाम/निविदा की पुष्टि होने तक अपनी बोली पर स्थिर न रहते हुए बोली वापिस लेगा अथवा किसी प्रकार नीलाम की शर्तो का उल्लंघन करेगा तो उसके द्वारा देशी मदिरा तथा विदेशी मदिरा दुकानों हेतु जमा किया गया 12 प्रतिशत अग्रिम धन,तथा 2 प्रतिशत भाग प्रतिभूति की राशि अथवा भांग, भांगघोटा, भांग मिठाई व ताड़ी दुकान/दुकानों हेतु जमा की गई लायसेंस फीस की 1/6 भाग तथा 1/12 भाग राशि कलेक्टर द्वारा सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् राजसात की जा सकेगी . इस संबंध में कलेक्टर का निर्णय अंतिम होगा .

10. **लायसेंस/लायसेंसों का हस्तान्तरण**—यदि लायसेंस/लायसेंसो की अवधि के दौरान किसी लायसेंस/लायसेंसों का हस्तान्तरण स्वीकृत किया जाना आवश्यक पाया जाएगा तो लायसेंस/लायसेंसों की अवधि की नीलाम राशि लायसेंस फीस आदि का भुगतान करने के लिये एवं लायसेंस की शर्तों का पालन करने के लिए मूल लायसेंसी (अन्तरणकर्त्ता) तथा वह व्यक्ति जिसके नाम लायसेंस/लायसेंसों का बीच में हस्तान्तरण किया जावेगा (अन्तरणग्रहिता) दोनों ही बाध्य रहेंगे .

11. **नीलाम अथवा टेण्डर की कार्यवाही में न लगाई गई बोली स्वीकार न करना**—वर्ष 2001-2002 के लिये किसी ऐसे व्यक्ति को बोली/निविदा जिसने नीलाम के समय अथवा पुनःनीलाम यदि हुआ हो तो पुनःनीलाम के समय नीलाम में बोली/टेण्डर न दिया हो, विचार योग्य नहीं होगी.

12. **पुनर्नीलाम :—**

(क) पुनर्नीलाम के लिये वह व्यक्ति ही आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकता है जो नीलाम के समय जिसका वह पुनर्नीलाम चाहता है उपस्थित रहा हो तथा जो नीलाम में भाग लेने के लिए अपात्र न रहा हो और कलेक्टर द्वारा जिस दुकानों के समूह/दुकान की बोली अंतिम की गई हो ऐसे दुकानों के समूह/दुकान के लिये उसने बोली लगाई हो .

(ख) पुनर्नीलाम के आवेदन-पत्र नीलाम के तीन दिन के अंदर कलेक्टर को प्रस्तुत किये जावेंगे . तीन दिन की गणना करने में सार्वजनिक अवकाश के दिन छोड़ दिये जायेंगे . आवेदक को आवेदन-पत्र के साथ नीलाम जिसका वह पुनर्नीलाम चाहता है में प्राप्त उच्चतम बोली के 1/3 भाग के बराबर राशि जमा करनी होगी . आवेदक की अर्नेस्टमनी यदि कोई जमा है तो उसको कम करके बाकी राशि

चालान द्वारा कोषालय में जमा कर चालान की प्रति अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक का उतनी ही राशि का बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा बैंक का कैश आर्डर आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा .

(ग) पुनर्नीलाम के आवेदन-पत्र पर तभी विचार किया जावेगा जबकि आवेदक नीलाम में प्राप्त उच्चतम बोली से कम से कम 10 प्रतिशत अधिक की बोली लगाना चाहता हो . पुनर्नीलाम की तिथि की विज्ञप्ति कलेक्टर द्वारा जारी की जायेगी . यदि कलेक्टर नीलाम पण्डाल में पुनर्नीलामी की घोषणा करते हैं तो कम से कम 5 दिन पश्चात् की तिथि घोषित करेंगे .

(घ) पुनर्नीलाम होने की दशा में आवेदनकर्त्ता पुनर्नीलाम में सम्मिलित होकर बोली नहीं लगाता है तो उसके द्वारा जमा की गई 1/3 भाग राशि राजसात हो जायेगी . उसे आवेदन-पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा कि वह इस शर्त को स्वीकार करता है कि पुर्ननीलाम होने की दशा में वह प्रस्तावित बोली से कम की बोली नहीं लगायेगा और ऐसी बोली लगाने में असफल रहेगा तो उसके द्वारा जमा की गई राशि राजसात हो जायेगी .

(ङ) किसी ऐसी दुकानों के समूह/दुकान के पुनर्नीलाम जिसके नीलाम/निविदा की स्वीकृति आबकारी आयुक्त की स्वीकृति के अधीन हो का प्रस्ताव प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा आबकारी आयुक्त को तार द्वारा तत्काल सूचना दी जायेगी कि पुनर्नीलाम के कारण उक्त ठेका स्वीकृत न किया जावे और तदुपरांत कलेक्टर पुनर्नीलाम की कार्यवाही करेंगे .

(च) किसी दुकानों के समूह/दुकान के पुनर्नीलाम के प्रस्ताव का आवेदन-पत्र केवल एक ही बार मान्य किया जायेगा .

(छ) किसी दुकानों के समूह/दुकान का पुनर्नीलाम होने पर भी उसके प्रथम नीलाम के समय जिस बोलीदार द्वारा उच्चतम बोली लगाई गई होगी वह 15 दिन तक अपनी उस बोली पर कायम रहने के लिये बाध्य होगा .

13. **ठेका अवधि में पुनर्नीलाम करना**—वर्ष 2001-2002 के मध्य किसी दुकानों के समूह/दुकान का पुनर्नीलाम करने की स्थिति उत्पन्न होने पर ठेकेदार को सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् कलेक्टर द्वारा कभी भी पुनर्नीलाम किया जा सकेगा . पुनर्नीलाम हेतु सूचनापत्र पुनर्नीलाम के प्रस्तावित दिनांक से कम से कम पांच दिन पूर्व जारी करना होगा .

14. **वर्ष 2001-2002 के लिये ठेकों का नीलाम पूर्ण करना**—वर्ष 2001-2002 के लिए किये गये नीलाम के अंतिम होने के पश्चात् यदि संबंधित बोलीदार द्वारा शर्तों का पालन न किये जाने के कारण अथवा कलेक्टर/आबकारी आयुक्त के आदेशानुसार किसी दुकान/दुकानों के समूह का नीलाम फिर से किया जाना आदेशित किया गया हो और उसके लिये यदि नीलाम के दौरान ही पुनर्नीलाम की तिथि की घोषणा न कर दी गई हो तो पुनर्नीलाम की सूचना पुनर्नीलाम के दिन से कम से कम 5 दिन पूर्व जारी की जायेगी तथा उसके लिये शर्त क्रमांक 15 का पालन किया जायेगा . पुनर्नीलाम की तिथि कलेक्टर द्वारा निर्धारित की जायेगी . इसी प्रकार यदि दुकानों के किसी समूह/दुकान का किसी भी कारण से नियत तिथि को नीलाम संपन्न/अंतिम नहीं होता तो उसके नीलाम हेतु कलेक्टर आगामी तिथि नियत करेंगे . जिसकी घोषणा नीलाम पण्डाल में ही की जा सकती है.

15. शर्त क्रमांक 12, 13 व 14 के अधीन निर्धारित पुनर्नीलाम/नीलाम की तिथि की घोषणा यदि नीलाम के दिन नीलाम स्थल पर ही उस दिन की कार्यवाही पूर्ण होने के पूर्व नहीं की जाती है तो ऐसे पुनर्नीलाम/नीलाम की सूचना जिसकी अवधि कम से कम पांच दिन की होगी, समाचार पत्र में प्रकाशित की जायेगी और सूचनापत्र का प्रदर्शन संबंधित कलेक्टर तथा सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर किया जाएगा .

16. **आबकारी दुकानों के संचालन की व्यवस्था**—यदि किसी दुकानों के समूह/दुकान का नीलाम, पुनर्नीलाम अथवा निविदा द्वारा उचित मूल्य नहीं आता अथवा वर्तमान में ठेका व्यवस्था संबंधी जारी किये गये निर्देशों के उल्लंघन पर आबकारी आयुक्त उस दुकानों के समूह/दुकान के संचालन अथवा पुनर्नीलाम की जैसी भी उचित समझे, व्यवस्था कर सकेंगे .

17. कलेक्टर द्वारा ऐसी दुकानों के समूह/दुकान जिसके लिये बोली स्वीकृत करने हेतु वह स्वत: सक्षम है तथा ऐसी दुकानों के समूह/दुकान की बोली जिसे स्वीकृत करने हेतु उक्त शर्त 6 के अनुसार आबकारी आयुक्त सक्षम है, को अंतिम किये जाने के उपरांत भी राजस्व के हित में उन्हें पुनर्नीलाम कराने के आदेश आबकारी आयुक्त दे सकेंगे .

18. **मद्य निषेध नीति तथा प्राकृतिक विपत्तियों के फलस्वरूप दुकान बंद करना**—राज्य में अथवा किसी पड़ौसी राज्य में मद्यनिषेध की नीति के फलस्वरूप यदि कोई दुकान/दुकानें बंद की जाती है तो इसके कारण ठेकेदार को शासन द्वारा कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी . इसी प्रकार यदि पड़ौसी राज्य में मद्यनिषेध के कारण अथवा किसी अन्य कारण से भी राज्य की किसी दुकान का पुनर्नीलाम करने का निर्णय लिया जाता है अथवा वर्ष 2001-2002 के दौरान यदि शासन कोई दुकान खोलना आवश्यक समझेगा तो वैसा करने का अधिकार आबकारी आयुक्त को होगा तथा उस पर किसी ठेकेदार की आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी और किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा छूट किसी भी आपत्तिकर्त्ता को देय नहीं होगी. यदि ठेके के दौरान ठेकेदार को किसी दैवीय विपत्ति या प्राकृतिक प्रकोप अथवा सामाजिक उपद्रवों, आंदोलनों, कानून व्यवस्था संबंधी समस्याओं के फलस्वरूप किसी प्रकार की क्षति होती है तो ठेकेदार को किसी तरह की क्षतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी .

सभी लायसेंस छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये एवं समय-समय पर संशोधित किये गये नियमों और समय-समय पर राज्य शासन आबकारी आयुक्त, कलेक्टर द्वारा पारित आदेशों/अनुदेशों के अध्यधीन रहेंगे .

सही/-
(एच. एल. प्रजापति)
आबकारी, आयुक्त.

वर्ष 2001-2002 के लिए सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में आबकारी नीलाम की तिथियां एवं नीलाम का स्थल

समूह (1)	दिनांक-दिन (2)	जिले का नाम (3)	नीलाम स्थल (4)
प्रथम समूह	15.3.2001 गुरुवार	1. राजनांदगांव 2. जशपुर	कलेक्टोरेट, राजनांदगांव कलेक्टोरेट, जशपुर
द्वितीय समूह	16.3.2001 शुक्रवार	1. दुर्ग 2. दंतेवाड़ा	कलेक्टोरेट, दुर्ग कलेक्टोरेट, दंतेवाड़ा
तृतीय समूह	19.3.2001 सोमवार	1. बिलासपुर 2. कवर्धा	कलेक्टोरेट, बिलासपुर कलेक्टोरेट, कवर्धा
चतुर्थ समूह	20.3.2001 मंगलवार	1. धमतरी 2. कोरिया	कलेक्टोरेट, धमतरी कलेक्टोरेट, कोरिया
पंचम समूह	21.3.2001 बुधवार	1. कोरबा 2. कांकेर	कलेक्टोरेट, कोरबा कलेक्टोरेट, कांकेर
षष्ठम समूह	23.3.2001 शुक्रवार	1. रायपुर 2. सरगुजा	कलेक्टोरेट, रायपुर कलेक्टोरेट, सरगुजा
सप्तम समूह	24.3.2001 शनिवार	1. महासमुंद 2. रायगढ़	कलेक्टोरेट, महासमुंद कलेक्टोरेट, रायगढ़

(1)	(2)	(3)	(4)
अष्टम समूह	25.3.2001 रविवार	1. जांजगीर चांपा	जिला आबकारी कार्यालय, जांजगीर चांपा.
		2. बस्तर	कलेक्टोरेट, बस्तर

सही/–
(एच. एल. प्रजापति)
आबकारी, आयुक्त,
छत्तीसगढ़.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.